

तारीख

पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश

103/12

अनुसू

24/8/20

वज्रावली पैरु डूई। प्राणपक्ष से वर्गीकृत  
 मूल बाद सं० 197/2012 अदम नदरी  
 में आविर्ज किया जाकर ~~ह~~ कुल है  
 जिससे प्राण्य हो जागे चलने का  
 कोई अचिन्त प्रतीत नहीं होता है।  
 अतः दस्तमान पोषणीय नहीं है। वे  
 आविर्ज किया जाता है। जिसल अपने  
 नम्बर से इस क्षेत्र मूल कानुन के अन्तर्  
 मन्वी क्षेत्र राजिल सफार है।

सहायक कलक्टर  
 (एस.डी.ओ.) जयल